न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 44 / 2023 आवेदन 251—क

ग्यारसीदेवी पत्नि ग्यारसा उम्र 78 वर्ष जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

— प्रार्थीया

ब ना म

1. फूलीदेवी पत्नि शंकर (शंकराराम) उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. रामकुवार पुत्र शंकर उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
3. रामेश्वर पुत्र शंकर उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
4. सुभाष पुत्र शंकर उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
5. सीताराम पुत्र शंकर उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहन वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
7. बिमलादेवी पुत्री मोहन उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
8. भंवरीदेवी पुत्री मोहन उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
9. गोपाल पुत्र मूला उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
10. लालू पुत्र मूला उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
11. श्रवणीदेवी पुत्री मूला उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
12. योगेश पुत्र पूरण उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

13. कैलाश पुत्र भागू उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
14. विकास पुत्र भागू उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
15. अनितादेवी पुत्री भागू उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
16. सुमनदेवी पुत्री भागू उम्र वयस्क जाति मीणा निवासीनी ग्राम सवाईपुरा वाया कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां वकील प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री शिवपालसिंह वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 9 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8, 10 लगायत 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 22.07.2024**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का खण्डेलसर भू.अ.नि. जीणमाता तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में प्रार्थीया अपनी भूमि खसरा नम्बर 648 में आने जाने/ पहुंच हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 16 की भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 651 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ मार्क ए से बी प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 648 की दक्षिणी सींमा तक 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहती है। चाहे गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से मार्क ए से बी के रुप में दर्शित किया गया है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 651 की दक्षिणी सींमा पर मौके पर ग्रेवल सड़क गुजर रही है तथा प्रार्थीया के पास वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 16 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग एवं उपभोग हेतु रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिम हुआ है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिजनों, स्कूल जाने वाले बच्चों व अपने खेत में काश्त कार्य करने के लिए तथा अपने कृषि यंत्र एवं पशुधन लाने ले जाने हेतु निरन्तर व दिन प्रतिदिन रास्ते की आवश्यकता बनी रहती है तथा वांछित रास्ते के अलावा प्रार्थीया की कृषि भूमि में

आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु प्रार्थीया तैयार है। इसलिए खसरा नम्बर 649, 650, 651 में से रास्ते में आने वाली भूमि को निर्वापित कर गैर मुमकिन रास्ता के रुप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम– सवाईपुरा पटवार हल्का खण्डेलसर, भू. अ. नि. क्षेत्र जीणामाता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन मे स्थित अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 16 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 649, 650, 651 में से प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 648 में आवागमन हेतु वांछित रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से मार्क "ए" से "बी" के रुप में दर्शित किया है, की प्रतिकर राशि तैय/ निर्धारित करके अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 16 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रुप में दर्ज कर रास्ता मौके पर आवागमन हेतु सुचारु रुप से चालू करवाकर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 9 की ओर से वकील शिवपालसिंह हाजिर आये। अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8, 10 लगायत 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. प्रार्थना–पत्र में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के तहत रिपोर्ट पेश। वकील शिवपालसिंह ने प्रारम्भिक विधिक आपति पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया ने अपने आवेदन में आपितकर्तागण की भूमि में से 6 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2023 में 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया है क्योंकि चाहे गये रास्ते वाली भूमि में आपतिकर्तगण का पहले से नलकूप (ट्यूबवैल) बना हुआ है तथा चाहे गये रास्ते वाली भूमि में उक्त नलकूप (ट्यूबवैल) का बिजलीघर (गुमटी) बनी हुई है इसलिए आपतिकर्तागण की भूमि में से आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते वाली जगह से रास्ता दिया जाना कतई सम्भव ही नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 653, 654, 1165/652 1166/652 में से आज दिन भी आवेदिका की भूमि तक रास्ता चालू है। उक्त खसरा नम्बरान से आवेदिका एवं आवेदिका के पुत्रगण किशोर, चुन्नीलाल, श्रवण, राजू, सुभाष, सुरज्ञान, मुकेश पुत्रगण ग्यारसी लाल मीणा एवं गुलझारी पुत्र बालू, कैलाश पुत्रगण बिड़दूराम, भोपाल पुत्र बिड़दूराम, विनोद देवी पत्नि महेन्द्र जाति मीणा निवासी कोछोर एवं आपतिकर्तागण के मध्य एक लिखावट दिनांक 13.07.2019 को लिपीबद्ध करवायी गई है, उक्त लिखावट के अनुसार ही आवेदिका को उक्त आवेदन में वर्णित भूमि में जाने–आने हेतु रास्ता उतर से दक्षिण 66.5 फीट तथा पूर्व से पश्चिम 52. 7 फीट 7 इंच जिसका कुछ क्षेत्रफल 3497 वर्गफीट है। उक्त रास्ते की भूमि की पत्थरगड्डी कर रास्ता आवेदिका को संभला दिया गया। उक्त रास्ता आज दिन भी आवेदिका की

भूमि तक चालू है। अतः आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर आवेदिका का आवेदन सारहीन होने एवं विरूद्ध कानून पेश किया हुआ होने के कारण मय विशेष हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. वकील उभयपक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थीया ने कहा कि प्रार्थीया की भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता नही है व वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का है तथा आवश्यकता अत्यंतिक है तथा उक्त समस्त तथ्य भू अभिलेख निरीक्षक की जांच मे सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 651 में दिनांक 19.12.2022 को ही एक नया रास्ता कायम किया गया था। जिसके खसरा नम्बर 1163/651 कायम किये गये तथा अगर पुनः दूसरी छोर पर और रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीया की भूमि रास्ते में ही खत्म हो जायेगी। यह भी कथन किया कि भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि प्रार्थीया अपनी भूमि पर खसरा संख्या 654/653, 1165/652, 1166/652 से आता जाता रहा है। अतः प्रार्थीया को उन्ही की भूमियो से रास्ता अगर दिया जाता है तो वहां से दिया जाये। यह भी कथन किया गया कि जो 4 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया वहां पर अप्रार्थीगण द्वारा बिजली घर की घमटी बनाई हुई है। अतः वहां से रास्ता नहीं दिया जा सकता। तथा एक लिखावट दिनांक 10.07.2019 व 13.07.2019 भी पेश की तथा कथन किया कि उक्त लिखावट के प्रार्थीया के पुत्रों द्वारा रास्ते के संबंध में पूर्व में ही खसरा संख्या 654, 653, 652 के खातेदारों से सहमति अनुसार रास्ता दिया गया है। व उक्त रास्ते के बदले में प्रार्थीया के पुत्रों ने अपने खेत में से भूमि दी है जो लिखावट से प्रमाणित है। अतः प्रार्थीया पुनः कोई नया रास्ता कायम करवाने हेतु अभिमत नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त के प्रत्युतर में वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि जिस लिखावट की बात वकील अप्रार्थीगण ने की है, उसमें प्रार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है। अतः वह लिखावट प्रार्थीया पर लागू नहीं होती है। तथा जिस जगह बिजली की घमटी बता रहे। उस रास्ते को छोडकर ही 4 मीटर का रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. मैने प्रार्थना पत्र, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट, मौखिक बहस, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 का अवलोकन व मनन किया। धारा 251–ए में मूलतः रास्ता 3 शर्त मे दिये जाने का प्रावधान है :–

1 वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो।

2 निकटतम रास्ता ही देय है।

3 रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। सुविधाजनक उपभोग के लिए नही हो।

6- वर्तमान प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 648 में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 651 के पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ता चाहा है। वर्तमान

प्रार्थना पत्र 12.06.2022 को पेश हुआ तब अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 651 दर्ज रिकार्ड था हालांकि जैसा कि वकील प्रतिवादी ने बताया व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से दिनांक 19.12.2022 को ही एक रास्ता 500 वर्गमीटर का गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया गया तथा भू अभि0 निरीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट के मद संख्या 1 में यह लिखा गया है कि प्रार्थीया अपनी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 654, 653, 1165/652 व 1166/652 को उपयोग में लेते रहे हैं। तथा वकील अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में पेश एक लिखावट दिनांक 10.07.2019 से भी यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया के पुत्रों ने खसरा संख्या 654, 652 व 653 में पक्षकारों से अपनी भूमि में पहुंच हेतु रास्ता लिया था व उक्त रास्ते के बदले अपनी भूमि में से विपक्षीय पक्ष को जमीन भी दी तथा उक्त रास्ते व जमीन की पत्थरगढी भी सहमति से किया होना उक्त लिखावट में दर्ज है। वकील प्रार्थीया का यह कथन है कि लिखावट में प्रार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है। अतः लिखावट प्रार्थीया पर मान्य नहीं है, मान्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त लिखावट पर प्रार्थीया के पुत्रों किशोर, चुन्नीलाल, श्रवण, राजू के हस्ताक्षर है तथा रास्ता प्रार्थीया व उसके पुत्रों के लिये नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर के लिय है। जिसमें अगर प्रार्थीया के पुत्रों के हस्ताक्षर है तो भी मान्य है। अतः उपरोक्त निवेदन के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है, क्योंकि लिखावट दिनांक 10.09.2019 से प्रार्थीया की भूमि पर रास्ते के संबंध में राजीनामा लिखित है तथा चाहा गया रास्ता अन्य खसरों से है। अतः वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होता है तथा यह भी सिद्ध नहीं होता है कि रास्ते की आवश्यकता अत्यंतिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चाहा गया रास्ता जो लिखावट के रास्ते से भिन्न है, सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिये है।

अतः धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी), 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानों के तहत की गयी जॉच, जिसका विवेचन ऊपर किया गया है, के आधार पर मेरा यह समाधान नहीं होता है कि प्रार्थीया के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है या रास्ते की आवश्यकता अत्यंतिक है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि चाहा गया रास्ता सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिये है। अतः धारा 251–क के तहत वैकल्पिक मार्ग का अभाव व अत्यंतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ